

प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) क्या है ?

पुलिस आपकी सेवा में सदा तत्पर →

थाना



1. घटना, शिकायत, दुर्घटना की जानकारी थाने में लिखित या मौखिक रूप में देना।

2. एफ0आई0आर0, संबंधित थाने में 24 घंटे निःशुल्क दर्ज होती है।

3. थाने में एफ0आई0आर0 (फार्म नं 24:5 (1)) में ही शिकायत दर्ज कराना एवं उसकी प्रतिलिपि लेना।

4. एफ0आई0आर0 में विलम्ब होने पर, विलम्ब का उचित कारण स्पष्ट करें। एफ0आई0आर0 दर्ज कराते समय सही नाम, पता, समय एवं घटना का सही विवरण देना।

5. थाने में पुलिस द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज न करने के स्थिति में चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (मुख्य न्यायिक अधिकारी)से शिकायत करना।

6. एफ0आई0आर0 का सत्यापन होने पर पुलिस द्वारा चार्टशीट (आरोप पत्र) बनाकर न्यायालय में कार्यवाही के लिये भेजना।



ए-8,सर्वोदय नगर, इन्दिरा नगर, लखनऊ- 226016 • फोन : +91-522-2349556

E-mail : aimlucknow@gmail.com, endstarvation@yahoo.com

सहयोग : एक्शनएड इण्डिया